भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 763

(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत क्षेत्रीय व्यय बढ़ाना

763. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः
श्री हनुमान बेनीवालः
श्री मद्दीला गुरूमूर्तिः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि देश में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय में व्यापक और क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर व्यय की उपेक्षा की जा रही है और यह कुछ राज्यों में केंद्रित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में सांविधिक संशोधन करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है तथा सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यकलापों का विवरण वार्षिक रूप से फाइल करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनी द्वारा फाइल किये गये सीएसआर से संबंधित सम्पूर्ण आंकडे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं तथा इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है।

जारी.....2/-

वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान सीएसआर आंकड़ों (30.09.2022 की स्थिति के अनुसार) के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कंपनियों द्वारा कुल सीएसआर व्यय का लगभग 35% महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु में किया गया है। इसी प्रकार, कंपनियों के कुल सीएसआर व्यय का लगभग 60% व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्र में किया गया है।

अधिनियम की धारा 135(5) में यह प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां से संचालन होता है। अखिल भारतीय स्तर पर सीएसआर व्यय का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने दिनांक 25.08.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 14/2021 के तहत स्पष्ट किया था कि स्थानीय क्षेत्र पर जोर देना केवल निर्देशात्मक स्वरूपतः अनिवार्य स्वरूप का नहीं है, तथा कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्रों की वरीयता को संतुलित करना है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया था कि अनुसूची VII में उल्लिखित कार्यकलाप व्यापक हैं तथा इनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। इस अधिनियम के अधीन, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार कंपनियों को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं करती है।

*****